mail

पत्र संख्या– 1/प्रा0आ0–0–3–15/2017...128.../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार भा0प्र0से0

अपर सचिव।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 9/1/18

विषयः– वित्तीय वर्ष– 2017–18 में मांग संख्या–04 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–2013–मंत्रिपरिषद, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष– 105–मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान, उपशीर्ष–0002– मंत्रियों का वैवेकिक अनुदान, विषय शीर्ष–36 01– विवेकानुदान के अन्तर्गत ₹5,00,000 (पाँच लाख रूपये) उपावंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के आवंटन पत्रांक 506 दिनांक 11.12.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष– 2017–18 में मांग संख्या–04 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–2013–मंत्रिपरिषद, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष– 105–मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान, उपशीर्ष–0002– मंत्रियों का वैवेकिक अनुदान, विषय शीर्ष–36 01– विवेकानुदान के अन्तर्गत ₹5,00,000 (पाँच लाख रूपये) का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त आवंटन से प्राप्त संपूर्ण राशि ₹5,00,000 (पाँच लाख रूपये) उपावंटित की जाती है।

2. उपावंटित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है:-

मुख्य बजट शीर्ष–2013–मंत्रिपरिषद,
उपमुख्य शीर्ष– 00,
लघु शीर्ष–105–मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान,
उपशीर्ष–0002– मंत्रियों का वैवेकिक अनुदान,
माँग संख्या-04, विषय शीर्ष-36 01– विवेकानुदान
विपत्र कोड–04–2013001050002

3. यह उपावंटन बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम –269 से नियम–274 के आलोक में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा आवंटित राशि के विरूद्ध किया जा रहा है।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विपत्र में अंकित किया जाय कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है। संबंधित विपत्र में आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख भी करना होगा कि इसके आधार पर संबंधित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है।

5 उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. यह उपावंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2419 [वि0 (2)] दिनांक –05.04.2007 के साथ पठित वित्त विभाग के पत्रांक 2561[वि0 (2)] दिनांक–17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. यदि उक्त उपावंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में नही हो सके, तो अव्ययित राशि का प्रत्यर्पण मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 31.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दी जाय।

8. इस उपावंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार / वित्त विभाग, बिहार / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

9/1/18

अपर सचिव

ज्ञापांक–......128....../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक– 9/1/18

प्रतिलिपि: महालेखाकार, महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना/ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

9/1/18

अपर सचिव

पत्रांक 128 दिनांक 9/1/18

ज्ञापांक– 128 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 9/1/18

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना तथा आवश्यक कर्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/18

अपर सचिव

ज्ञापांक – 128 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 9/1/18

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

9/1/18

अपर सचिव

ज्ञापांक– 128 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 9/1/18

प्रतिलिपिः विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ सांख्यिकी पदाधिकारी/ कार्यवाह सहायक/ लेखाशाखा (दो प्रति में)/आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/18

अपर सचिव